

प्रारूप-7
(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 16 देखें)
राष्ट्रीय (अल्प) बचत योजना के अधीन खाता गिरवी रखने हेतु आवेदन

सेवामें,

डाकपाल / प्रबंधक

.....
.....

महोदय,

1. मुझे/हमें (राजपत्रित अधिकारी का पदनाम या भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, पंजीकृत सहकारी सोसायटी, निगम, सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण का नाम) के पास प्रतिभूति के रूप में रूपये की राशि जमा करने की आवश्यकता है। अतः मैं/हम, आपसे (योजना का नाम) के अधीन खाता संख्या में जमा राशि को (अधिकारी का सरकारी पदनाम या शाखा का नाम आदि जिसके पास प्रतिभूति के रूप में खाते को गिरवी रखा जा रहा है), के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हैं।

2. मैं/हम सहमत हैं कि खाता/खातों को प्रतिभूति जब्त होने पर गिरवीकर्ता के द्वारा, नकदीकरण किया जा सकता है। खाते में पंजीकरण संख्या द्वारा किया गया नामांकन निरस्त हुआ मान लिया जायेगा।

खाते का विवरण

खाता संख्या	तारीख	लेखाकार्यालय का नाम	राशि

उपर्युक्त प्राधिकारी ने गिरवी स्वीकार करने के लिए सहमति दे। गिरवीकर्ता के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित गिरवी की स्वीकृति संलग्न है।

तारीख :-

जमाकर्ता (ओं) के हस्ताक्षर
पता

केवल कार्यालय के उपयोग के लिये

खाता संख्या पंजीकरण संख्या तारीख

..... द्वारा गिरवी रखा गया है और रिकॉर्ड में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं।

पासबुक / जमा रसीद / खाता विवरण में भी गिरवी के संबंध में प्रविष्टि कर ली है और खाताधारक को लौटा दिया गया है।

तारीख:-

डाकपाल / प्रबंधक के हस्ताक्षर
मुहर